

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/175/2023/666

दिनांक:- 14-02-2023

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक F4(13)Finance/Rules/172/2008/8211 दिनांक 17.11.2008 (Revised Pay Scales Regulations, 2008) के विनियम 19 के बिन्दु संख्या 3 में ACP का लाभ दिये जाने पर वेतन निर्धारण के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

“The grade pay shall change at the time of financial up gradation under this scheme. The grade pay given at the time of financial up gradation under ACPs will be the immediate next higher grade pay in the hierarchy of Running Pay Band and grade pay being prescribed. Thus, grade pay at the time of financial up gradation under ACPs can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades, be different that what is available at the time of regular promotion. In such cases, the higher grade pay attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be given only at the time of regular promotion.”

इसी प्रकार सातवां वेतनमान हेतु जारी आदेश क्रमांक F4(13)Finance/Rules/175/2022/1276 दिनांक 29.03.2022 के Schedule-V के बिन्दु संख्या 3 में भी इसके लिए निम्न प्रावधान है:-

“Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Thus, one increment shall be given in the Level from which the employee granted ACP and he shall be placed in immediate next Level in the Cell equal to the figure so arrived at in the Level from which ACP is to be given and if no such Cell is available in the Level to which ACP granted, he shall be placed at the next higher Cell in the Level. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion, if promotion is in the same Level as granted under ACP. However, if promotion is on the post carrying higher Level than only the pay in that Level in the Pay Matrix shall be fixed at the equal Cell and if there is no equal Cell than at the immediate next Cell.”

यह देखने में आया है कि निगम के विभिन्न आगारों में निश्चित वृत्ति बढ़ाव (ACP) हेतु गठित समितियों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (ब) को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम ए.सी.पी. का लाभ कनिष्ठ अभियन्ता (अ) के पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण किया जा रहा है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कनिष्ठ अभियन्ता (ब) को प्रथम ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने पर ग्रेड पे 4200/पे लेवल 11 में वेतन निर्धारण किया जावे। पूर्व में किये गये त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारणों को संशोधित कर सम्बन्धित से नियमानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(रामगोपाल पारीक)

वित्तीय सलाहकार

दिनांक:- 14-02-2023

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2023/666

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु.0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु.0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु.0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु.0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु.0, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.निगम, जोन।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के.0.का.0.....।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
10. रक्षित पत्रावली।

(हरिनारायण मीणा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

I.N./338
20/02/23